भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 45
जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायालय की कार्यवाही

45. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री ए. राजा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला न्यायालयों से उच्च न्यायालयों तक क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायालय कार्यवाहियां करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सभी न्यायालयों में याचिकाएं, शपथपत्र और प्रतिवाद और प्रत्युत्तर ऑनलाइन दायर करने की पूरी सुविधा प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वकीलों की उपस्थिति और तर्कों को पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन उच्च न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जहां वकीलों को व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है ; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा आम लोगों के लाभ के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय प्राप्त करने में क्या सहायता प्रदान की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जहां तक उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों का संबंध है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 (1)(क) कहता है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । तथापि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(2) उपबंध करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 कहती है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न), ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

मंत्रिमंडल समिति के विनिश्चय, तारीख 21.05.1965 ने यह अनुबंधित किया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर प्राप्त की जाए ।

संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग 1950 में प्राधिकृत किया गया । मंत्रिमंडल समिति के ऊपर यथावर्णित विनिश्चय, तारीख 21.05.1965 के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया ।

भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक की सरकारों से क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में तमिल, गुजराती, हिन्दी, बंगाली और कन्नड के प्रयोग को अनुज्ञात करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । मंत्रिमंडल समिति के 1965 में किए गए विनिश्चय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह की वांछा की गई और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के डी.ओ. पत्र तारीख 16.10.2012 में यह सूचित किया गया कि 11.12.2012 को आयोजित इसकी बैठक में पूर्ण न्यायालय ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रस्तावों को स्वीकार न करने का विनिश्चय किया ।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, जुलाई, 2014 में सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पहले के निर्णयों की समीक्षा करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति से अवगत कराने का अनुरोध किया । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने डी.ओ. पत्र तारीख 18.01.2016 में सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय नें, व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्, सर्वसम्मति से यह संकल्प किया कि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंध के अनुसार इन न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित है । इस प्रकार, निचले न्यायालयों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग सामान्य रूप से संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे के परामर्श से विनिश्चित किया जाता है और तदनुसार इसे अपने संबंधित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लागू किया जाता है ।

(ख) से (घ) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, ई-फाइलिंग को कार्यात्मक बनाया गया है और यह संपूर्ण भारत के सभी उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उपलब्ध है । नए ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 3.0) को अद्यतन सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए रोल आउट किया गया है । ई-फाइलिंग नियमों के प्रारूप भारत के उच्चतम न्यायालय (एससीआई) की ई-समिति, द्वारा तैयार किए गए हैं, जो ऑनलाइन फाइलिंग के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सभी उच्च न्यायालयों में परिचालित किए गए थे और एससीआई की ई-समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने 31.10.2023 को ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है । सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों को ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई फाइलिंग का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है । इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी मुकदमों को ई-फाइल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए गए हैं । समान संसूचना, अनुरोध करने वाले सभी मंत्रालयों को न्याय विभाग द्वारा सभी सरकारी मुकदमों में ई फाइलिंग का उपयोग करने के लिए, भी साझा की गई है ।

दिसंबर, 2023 तक, उच्च न्यायालयों में 7,96,687 मामले फाइल किए गए थे और ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग करके जिला और तालुका अदालतों में 19,65,618 मामले फाइल किए गए थे । ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अधीन, कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदालतों के मुख्य आधार के रूप में उभरी है क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक रीति में सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । तालुक स्तर की न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपस्कर प्रदान किया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीसी उपस्करों हेतु अतिरिक्त निधि जारी की गई है । 2506 वीसी केबिन स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है। कोविड लॉकडाउन अवधि के आरंभ से 31.12.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,17,99,976 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 82,76,595 मामलों (कुल 3 करोड़) की सुनवाई की है । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि के प्रारंभ से 23 मार्च, 2020 से 04.01.2024 तक 6,24,427 मामलों की सुनवाई की । वीसी सुविधाएं पहले से ही 3240 न्यायालय परिसरों और तत्सस्थानी 1272 कारागारों के बीच परिचालित की गई हैं ।

रिट याचिका (सीआरएल) सं. 351/2023 सर्वेश माथुर बनाम रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय ने 06.10.2023 को एक आदेश पारित किया है कि कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य या ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक मुकदमेबाज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई तक पहुंच से इनकार नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालयों को आवश्यक निधि प्रदान करने के लिए कहा गया है ।

(ङ.) : जैसा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने एआई टूल का उपयोग करके ई-एससीआर निर्णयों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एआई सहायक विधिक अनुवाद सलाहकार समिति का गठन किया है । 02.12.2023 को, एआई अनुवाद टूल का उपयोग करके, उच्चतम न्यायालय के 31,184 निर्णयों को, अर्थात, हिंदी (21,908), पंजाबी (3,574), कन्नड़ (1,898), तमिल (1,172), गुजराती (1,110), मराठी (765), तेलुगू (334), मलयालम (239), ओडिया (104), बंगला (39), नेपाली (27), उर्दू (06), असमिया (05), गारो (01), खासी (01), कोंकणी (01), 16 भाषाओं में अनुवादित किया गया है । तारीख 02.12.2023 तक उच्चतम न्यायालय के 16 भाषाओं में अनुवादित निर्णय उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध है ।

अब तक संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में सभी उच्च न्यायालयों में एक समान समिति का गठन किया गया है, उच्चतम न्यायालय ई-एससीआर निर्णयों को 16 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4,983 निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है और उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है ।

****